



डीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/193/14

Dt: 01.09.2014


Sh. Shakti Singh Chauhan,
"Shakti Kunj" Near Railway Line,
Subhash Nagar, Byawar Road,
Ajmer, Rajasthan-305001.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: Your application dt. 09.08.2014, received in this office on dt. 28.08.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

1. इस संबंध में कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2. रेल मंत्रालय के DFCCIL उपक्रम द्वारा प्रस्तावित पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही Rly. (Amendment) Act-2008 एवं NRRP-2007 के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया गया है। भूमि अवाप्ति से संबंधित समस्त रिकार्ड सक्षम प्राधिकारियों के यहाँ उपलब्ध है उसकी कॉपी संबंधित DFCCIL कार्यालयों में भी उपलब्ध है जिसका नियमानुसार अवलोकन कर आवश्यक पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
3. उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल कार्यालय अजमेर के भिन्न भिन्न विभागों को दी गई धनराशि एवं चैक की सूचना संबंधित विभिन्न फाईलों में उपलब्ध है। आज तक रु. 246344189/- अजमेर मंडल कार्यालय को जमा कराया जा चुका है। आवश्यक जानकारी हेतु संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन कर नियमानुसार प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
4. DFCCIL अजमेर के क्षेत्राधिकार के गाँव सराधना, तबीजी, दौराई, थोकमालियान, किरानीपुरा, मदारपुरा, रसूलपुरा एवं नारेली में राज्य सरकार के भिन्न भिन्न विभागों की भूमि अवाप्ति की गई है तथा उन सभी विभागों को चैक द्वारा जो मुआवजा वितरित किया गया उससे संबंधित सूचना, संबंधित भू-अवाप्ति की पत्रावलियों में उपलब्ध है जिसका नियमानुसार अवलोकन कर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
5. DFCCIL के WDFC के लिये भूमि अवाप्ति की समस्त प्रक्रिया रेलवे संशोधन - 2008 के द्वारा किया जाता है। आपके द्वारा चाही गई सूचना संबंधित कानून Act में उपलब्ध है। इस कानून के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसार ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही 20अ व 20ई की अधिसूचना जारी की जाती है।
6. DFCCIL के द्वारा समस्त भू अवाप्ति की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार रेलवे संशोधन 2008 के तहत ही की जाती है इस संबंधी समस्त सूचना संबंधित कानून का अवलोकन कर प्राप्त की जा सकती है।


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: CPM/Ajmer

DESPATCH